

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2223-एक/2016

जिला दमोह

जितेन्द्र

विरुद्ध

रूपरानी

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के नाम

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

08-03-2019

1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 12/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।
2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।

3

byew
(आर.के.जेन)
सदस्य 08/3/19